

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग

मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 02-12-16

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	605.190

कुल आवंटित राशि -

रुपये छः करोड़ पाँच लाख उन्नीस हजार मात्र

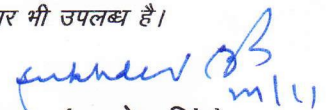
- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध राशि ₹ 6980.81 लाख (उनहत्तर करोड़ अस्सी लाख एक्यासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

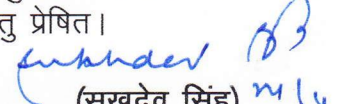

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 173

राँची, दिनांक :- 02-12-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 173

राँची, दिनांक :- 02-12-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन घोरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

गांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

पत्रांक 173 दिनांक 02/12-16 को अनुमति

पशिष्ट 1

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-खेतनागापुर एवं संथाल पराना सिंचाई परियोजना

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलटीडीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	अपूर्ति एवं सामग्री	दूधपाव	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ख़र्च एवं	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति												
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	मुख्य अभियंता	पूर्व का आवंटन	50.000	0.000	0.300	0.200	0.800	0.000	0.400	0.250	0.000	0.150	1.100	0.000	53.200													
1	जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.000	0.300	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.900	0.000	1.800													
	कुल आवंटन		50.000	0.000	0.500	0.200	1.100	0.000	0.650	0.400	0.000	0.150	2.000	0.000	55.000													
2	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	53.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	53.900													
	अतिरिक्त आवंटन		12.000	0.000	0.200	0.000	0.300	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.550	0.000	13.400													
	अवदान आवंटन		65.000	0.000	0.200	0.200	0.550	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.950	0.000	67.300													
3	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	52.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	52.900													
	अतिरिक्त आवंटन		20.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.550	0.000	20.950													
	अवदान आवंटन		72.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.950	0.000	73.850													
4	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	51.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	51.750													
	अतिरिक्त आवंटन		30.000	0.000	0.100	0.300	0.300	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	31.450													
	अवदान आवंटन		81.000	0.000	0.100	0.500	0.500	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	83.200													
5	कौनार नहर प्रमंडल, जुमरी	पूर्व का आवंटन	127.000	0.000	0.000	0.600	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	128.300													
	अतिरिक्त आवंटन		23.050	0.000	0.000	0.500	0.150	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	23.800													
	अवदान आवंटन		150.050	0.000	0.000	1.100	0.650	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	152.100													
6	कौनार नहर प्रमंडल, बनौर	पूर्व का आवंटन	168.700	0.000	0.000	0.650	0.500	0.000	0.250	0.050	0.000	0.100	0.500	0.100	170.850													
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.250	0.000	0.650													
	अवदान आवंटन		168.700	0.000	0.000	0.850	0.650	0.000	0.250	0.100	0.000	0.100	0.750	0.100	171.500													
7	कौनार नहर प्रमंडल, बनारसी	पूर्व का आवंटन	113.000	0.000	0.000	0.600	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	114.050													
	अतिरिक्त आवंटन		47.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	47.400													
	अवदान आवंटन		160.000	0.000	0.000	0.600	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.200	161.450													
8	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	20.750													
	अतिरिक्त आवंटन		17.000	0.000	0.000	0.500	0.250	0.000	0.250	0.070	0.000	0.000	0.500	0.000	18.570													
	अवदान आवंटन		37.000	0.000	0.000	0.700	0.450	0.000	0.250	0.120	0.000	0.000	0.800	0.000	39.320													

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन वीरसिया)
उप सचिव (आमि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरुदा शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुदा शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय				विरुदा शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विरुदा शीर्ष-04-मोटरगाडियां				राशि लाख रुपये में	
	कार्यलय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एनटीपीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां ईंधन एवं	विभिन्न प्रकार	कुल योग	अभिवृद्धि				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
9	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	130.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.300	0.000	130.750					
	अतिरिक्त आवंटन	42.000	0.000	0.000	0.500	0.300	0.000	0.250	0.070	0.000	0.000	0.300	0.500	0.200	44.120					
10	जलपथ प्रमंडल, बरही	अवदान आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.700	0.500	0.000	0.250	0.120	0.000	0.300	0.800	0.200	174.870					
	पूर्व का आवंटन	218.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	218.450					
11	जलपथ प्रमंडल, रौंही	अतिरिक्त आवंटन	17.000	0.000	0.000	0.450	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.200	0.000	0.200	18.350					
	अवदान आवंटन	235.000	0.000	0.000	0.650	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	236.800					
12	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन	285.000	0.000	0.000	0.400	0.550	0.000	0.300	0.100	0.000	0.400	0.000	0.200	286.950					
	अतिरिक्त आवंटन	105.000	0.000	0.200	0.450	0.300	0.000	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	106.350					
13	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	अवदान आवंटन	390.000	0.000	0.200	0.850	0.850	0.000	0.600	0.100	0.000	0.500	0.000	0.200	393.300					
	पूर्व का आवंटन	46.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	46.700					
14	पुनर्वास पराठो 30 कोयल परियोजना, मंदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	2.000	0.000	0.100	0.450	0.150	0.000	0.200	0.000	0.000	0.200	0.450	0.100	3.650					
	अवदान आवंटन	48.000	0.000	0.100	0.650	0.350	0.000	0.200	0.000	0.000	0.200	0.750	0.100	50.350						
15	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो	पूर्व का आवंटन	275.000	0.000	0.000	0.650	0.500	0.000	0.300	0.150	0.000	0.400	0.650	0.200	277.850					
	अतिरिक्त आवंटन	36.000	0.000	0.100	0.450	0.250	0.500	0.300	0.000	0.000	0.300	0.700	1.150	0.250	38.450					
16	पुनर्वास पराठो 30 कोयल परियोजना, मंदिनीनगर	अवदान आवंटन	311.000	0.000	0.100	1.100	0.750	0.500	0.600	0.150	0.000	0.000	0.000	0.250	316.300					
	पूर्व का आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.450					
17	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो	अतिरिक्त आवंटन	35.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	35.500					
	अवदान आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.200	0.350	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	85.950					
18	हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	152.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	152.700					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.600					
19	रूपकाण एवं मोनिंग प्र०, हजारीबाग	अवदान आवंटन	152.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	153.300					
	पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	31.350					
20	रूपकाण प्रमंडल सं. 1, मंदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350					
	अवदान आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	31.700					
21	रूपकाण प्रमंडल सं. 1, मंदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	137.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	137.750					
	अतिरिक्त आवंटन	86.100	0.000	0.100	0.450	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.100	0.000	0.300	87.350					
22	अवदान आवंटन	223.100	0.000	0.100	0.650	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.300	0.300	225.100					

(स्वता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन यंत्रसंस्था)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										विरुद्ध शीर्ष-02-राशिके-02-यात्रा व्यय										विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	49N27010300 49N270103001 1060101 060110	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	इंधन एवं	विविध प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति																			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
18	रूपकाण प्रमंडल सं-2, मीदिनीनगर		110.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	110.450																						
	अतिरिक्त आवंटन	55.100	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	55.950																							
	अवतन आवंटन	165.100	0.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.200	0.050	0.000	0.100	0.000	0.100	166.400																							
19	वित्त पदा०, स्वणरेखा पब्लि०, जमशेदपुर		80.000	0.000	0.300	2.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	83.200																							
	अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.500																							
	अवतन आवंटन	95.000	0.000	0.300	2.450	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	98.700																							
20	सिमाई यात्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिबिर मीदिनीनगर		128.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	128.750																						
	अतिरिक्त आवंटन	40.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.450	0.050	41.000																							
	कुल आवंटन	168.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.750	0.050	169.750																							
	अतिरिक्त आवंटन का योग	582.250	0.000	1.000	4.700	4.800	0.500	3.050	0.790	0.000	1.450	5.150	1.500	605.190																							

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11 / विविध-14 / 2010-39 / बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमाप्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये छः करोड़ पाँच लाख उन्नीस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन बोरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

173
02-12-16